संख्या-5-2026-385-57-1099-30-2023

प्रेषक,

लक्ष्मण राम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
धर्मार्थ कार्य निदेशालय,
उ0प्र0, लखनऊ।

धर्मार्थ कार्य अनुभाग लखनऊ : दिनांक 09 अप्रैल, 2026

विषय:- **धर्मार्थ कार्य निदेशालय के संचालन हेतु विभिन्न मानक मदों में धनराशि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-01/ध0का0वि0नि0/ब0स0/2026-27, दिनांक 01.04.2026 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा धर्मार्थ कार्य विभाग, निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ के संचालन हेतु अनुदान संख्या-084 के लेखा शीर्षक-2070-00-001-03-00 के विभिन्न मानक मदों प्राविधानित धनराशियों के सापेक्ष निम्नलिखित मानक मदों में कुल धनराशि रू0 155.00 लाख आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है:-

क्र0	**मानक मद**	**वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में बजट प्राविधान (रू0 लाख में)**	**अपेक्षित आवंटन (रू0 लाख में)**
1	08-कार्यालय व्यय	50.00	10.00
2	11-लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	25.00	10.00
3	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	50.00	5.00
4	42-अन्य व्यय	50.00	25.00
5	15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	10.00	5.00
6	58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	500.00	100.00
योग			**155.00**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि धर्मार्थ कार्य निदेशालय के संचालन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-084 के लेखा शीर्षक-2070-00-001-03-00 के विभिन्न मानक मदों प्राविधानित धनराशियों के सापेक्ष उपरोक्त विवरणानुसार कुल धनराशि रू0 155.00 लाख (रूपये एक करोड़ पचपन लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों-</u>

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि उसी मद में व्यय की जायेगी, जिस मद में व्यय की स्वीकृति प्रदान की जा रही है।
2. उक्त धनराशि के आहरण एवं व्यय में वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
3. जिस प्रयोजन से धनराशि निर्गत की जा रही है उस प्रयोजन के पूर्ण होने पर अवशेष धनराशि शासन को समर्पित की जायेगी।
4. स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र शासन को यथा समय उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
5. स्वीकृत की गयी धनराशि का आहरण निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पद धारक द्वारा शासनादेश के अनुसार कोषागार, लखनऊ/वाराणसी से किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय **लेखाशीर्ष:** 2070000010300 (धर्मार्थ कार्य निदेशालय)

क्र0	**अनुदान संख्या**	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	084	2070000010300 धर्मार्थ कार्य निदेशालय	08 कार्यालय व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
2	084	2070000010300 धर्मार्थ कार्य निदेशालय	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
3	084	2070000010300 धर्मार्थ कार्य निदेशालय	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
4	084	2070000010300 धर्मार्थ कार्य निदेशालय	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
5	084	2070000010300 धर्मार्थ कार्य	42 अन्य व्यय	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

		निदेशालय		
6	084	2070000010300 धर्मार्थ कार्य निदेशालय	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
	कुल			**1,55,00,000 (रुपये एक करोड़ पचपन लाख मात्र)**

महायोग	1,55,00,000 (रुपये एक करोड़ पचपन लाख मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

लक्ष्मण राम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0 प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उ0प्र0, लखनऊ/प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ/वाराणसी।
4. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ/वाराणसी ।
5. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
6. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

लक्ष्मण राम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।